जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संधारित किए जा रहे सार्वजनिक पार्क/ उद्यान/ सडको के सहारे वृक्षारोपण व सडको के बीच डिवाईडरो/ अन्य तिराहे/ सर्किलो के रख रखाव हेतु समय समय पर विभिन्न गोद लेने वाली संस्थाओ द्वारा इनके रखरखाव हेतु गोद लेने की नियम एवं दिशा निर्देश –

<u>सामान्य निर्देश –</u>

1. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओ पर पूर्ण आधिपत्य जयपुर विकास प्राधिकरण का होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधा सामान्यतया जहॉ व जिस हालत मे है सम्भलाई जावेगी। इनको सम्भलवाते वक्त उपलब्ध साधनो आदि का लिखित प्रतिवेदन तैयार कर सुरक्षित रखना आवश्यक होगा एवं निर्धारित समयपूर्ण होने पर सही स्थिति मे वापस प्राधिकरण को सम्भलवाया जावेगा।
3. गोद लेने वाली संस्थाओं को रख रखाव के लिये प्रदत्त सुविधा को किसी अन्य स्वंय सेवी संस्था इत्यादि को वे अपने स्तर पर स्थानान्तरित नही कर सकेगी। हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओ के विकास एवं संधारण मे किसी अन्य संस्था/ व्यक्ति का सहयोग लेना चाहे तो उससे प्राप्त संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण से करवाने के पश्चात् कार्य करवाया जा सकता है। इस प्रकार का कार्य भी अन्य शर्तो के अनुसार ही होगा।
4. विभिन्न गोद लेने वाली संस्थाये यदि अपना बोर्ड लगाकर संधारण हेतु संस्था का नाम दर्शाना चाहे तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित साईज (1.2 मीटर ग 0.40 मीटर) का अनुमोदित स्थल पर बोर्ड लगा सकती है। बोर्ड की लिखावट गोद देने वाली प्राधिकरण समिति द्वारा तय किया जोवगा। सर्किल मे 4 बोर्ड, तिराहे पर दो बोर्ड, रोड साईड व मिडियन पर दो बोर्ड एवं पार्क मे दो बोर्ड लगाये जा सकेंगें।
5. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओ पर कोई वाणिज्यिक गतिविधियॉ संचालित नही की जा सकेगी और न ही किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क लिया जावेगा।
6. आवेदक को धरोहर राशि के रूप मे 10000/– रूपये प्राधिकरण मे जमा कराने होंगें।
7. गोद देने का निर्णय अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), निदेशक (अभियान्त्रिकी), वरिष्ठ उद्यानविज्ञ, उपनिदेशक (विधि) व उपनिदेशक (व्यय एवं बजट) की समिति द्वारा अनुशंषा उपरान्त सचिव जविप्रा द्वारा किया जावेगा। कार्य अवधि पूर्ण होने पर "हरित स्थल" को सही सम्भलवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
8. गोद लेने वाली संस्था को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।
9. शर्तो मे किसी भी प्रकार का रद्दो बदल, विवाद उत्पन्न होने, किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. उपरोक्त शर्तो के संबंध मे उत्पन्न विवादो का न्याय क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

<u>संधारण हेतु प्रमुख दायित्वः–</u>

11. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधा आरम्भ मे दो वर्ष के लिये होगी तत्पश्चात् संधारण कार्य सन्तोषप्रद एवं संधारण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर अगले दो–दो वर्ष के लिये अवधि बढाई जा सकेगी।
12. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं के संधारण हेतु उपयोग मे लाये जाने वाले श्रमिक, साम्रगी एवं सभी उपकरण की व्यवस्था गोद लेने वाले को अपने स्तर पर स्वंय के खर्चे पर करनी होगी।
13. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं की मोटरों, उपकरणों, लाईटों के खराब हो जाने पर उनको ठीक करानें का कार्य गोद लेने वाली संस्थाओं द्वारा स्वंय के खर्चे पर किया जायेगा।
14. संधारित की जाने वाली सुविधाओं में बिजली – पानी का समस्त व्यय गोद लेने वाली संस्था को ही वहन करना होगा व बिल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ जन स्वास्थ अभियान्त्रिकी विभाग मे स्वंय को जमा कराना होगा एवं उसकी रसीद वरिष्ठ उद्यानविज्ञ के कार्यालय मे हर महीने जमा करानी होगी। बिजली पानी के बिलो का पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा देय नही होगा।

15. हस्तान्तरित की जाने वाली हरित स्थलों मे लगे हुए पौधे तथा रेलिंग आदि का संधारण गोद लेने वाली संस्था को स्वंय के खर्चे पर करनी होगी।
16. हस्तान्तरित किये जाने वाले हरित स्थलो के संधारण अवधि मे यदि किसी प्रकार की स्थायी क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी गोद लेने वाली संस्था की होगी एवं उसे स्वंय के खर्चे पर सही कराना होगा।
17. हस्तान्तरित की जाने वाले हरित क्षेत्र पार्क निशचित निर्धारित समयावधि मे जनता के लिये खुले रहेंगें। गोद लेने वाला यदि पार्क के खुले व बन्द रहने के समय मे परिवर्तन करना चाहे तो उसकी स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करनी होगी।

18. गोद ली गई संस्था द्वारा लगाये गये बोर्ड/ विज्ञापन बोर्ड के प्रति कोई कर/ स्थानीय कर या कोई शुल्क देय है तो उसका भुगतान गोद लेने वाली संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तो के रख रखाव के प्रति अन्य क्या कार्यवाही की जानी उपयुक्त होगी के बारे मे स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा। आधार सुगमता हेतु कुछ बिन्दु निम्नानुसार अंकित है –

1. पौघे, दूब एवं क्यारियो को वर्ष मे कम से कम 120 बार आवश्यकतानुसार पानी देना होगा। गर्मियो मे रोजाना आवश्यकतानुसार देना होगा।
2. माह मे कम से कम दो बार क्यारियो मे निराई गुडाई व दूब से खरपतवार निकालना होगा।
3. पार्क की क्यारियो मे मौसम के अनुरूप फूलो की पौघ लगाना, झाडियो एवं लताओ को तकनीकी दृष्टि से संधारण करना व पेड पौघो को समय समय पर खाद देना, छॅटाई इत्यादि समस्त कार्य करने होंगें।
4. माह मे दो बार दूब काटने का कार्य करना होगा।
5. आवश्यकतानुसार पार्क क्षेत्र मे लगे पौधे, दूब एवं क्यारियो मे खाद एवं कीटनाशक दवा का उपयोग करना होगा।
6. हरित स्थल क्षेत्र की सम्पूर्ण सफाई की व्यवस्था नियमित रूप से विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को करनी होगी।
7. जिन हरित स्थल पार्को मे वर्तमान मे पानी की व्यवस्था नही है उन पार्को मे पानी की व्यवस्था विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को स्वंय के खर्चे पर करनी होगी।
8. हरित स्थल पर उपलब्ध भवन, क्मपाण्उवॉल, फुटपाथ, बैंच व रेलिंग आदि पर निश्चित अन्तराल मे उपयुक्त मरम्मत, पैंट आदि का कार्य स्वंय गोद लेने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा।

<u>नवीन कार्य का अनुमोदनः–</u>

19. विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को अगर हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओ मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाना आवश्यक समझा जाता है तो उसकी पूर्व स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। इस प्रकार कराये गये कार्य पर आधिपत्य जयपुर विकास प्राधिकरण का होगा व किये गये निर्माण कार्य के प्रति कोई राशि / मुआवजा नही दिया जावेगा। इन नवीन निर्माण को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना हटाया नही जा सकेगा।
20. जो संस्थाये हस्तान्तरित की जाने वाली हरित स्थल मे अतिरिक्त विकास एवं संधारण करना चाहती है वह स्वंय अपने व्यय पर अपनी ओर से उस पार्क / उद्यान का लैण्ड स्केप प्लान तैयार कर जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी। प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् उसका विकास एवं संधारण सम्बन्धित संस्था द्वारा अपने स्तर स्वंय के व्यय पर किया जा सकेगा। लैण्डस्केप प्लान मे लगाये जाने वाले पौधो/ लताओ/ वृक्षों व अन्य कार्यवाही का स्पष्ट विवरण अंकित किया जायेगा तथा स्वीकृति मिलने पर तदानुसार ही विकास एवं संधारण कार्य किया जावेगा।
21. यदि किसी हरित स्थल पर बिजली–पानी हेतु कनेक्शन/ अतिरिक्त कनेक्शन लेना आवश्यक होगा तो ऐसी किसी भी हालत मे ऐसे कनेक्शन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जा सकेंगें। बिजली पानी के कनेक्शन गोद लेने वाले के नाम पर नही होगा।

<u>प्रतिबन्धित कार्यः–</u>

22. हस्तान्तरित किये जाने वाले हरित स्थलो से किसी भी प्रकार के पेड/ पौघो/ पत्तो/ फलो/ बीजो का विक्रय/हस्तान्तरित नही किया जावेगा।
23. पानी व बिजली का उपभोग उद्यान/पार्को के संधारण के अलावा अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।
24. विभिन्न गोद लेने वाली संस्था द्वारा गोद दिये जाने वाले हरित स्थलो का उपयोग व्यवसायिक व राजनैतिक गतिविधियो के लिये नही किया जावेगा एवं किसी प्रकार का मेला/विवाह व अन्य उत्सव मनाये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा, परन्तु जनहित के नितान्त आवश्यक मामलो मे जयपुर विकास प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति उपरान्त कियान्विति की जा सकेगी।

अनुबन्ध की शर्तो के उल्लंघन पर कार्यवाही :–

25. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओ के रख रखाव मे कमी पाये जाने पर 7 दिन का नोटिस जारी कर एग्रीमेन्ट निरस्त किया जा सकेगा।

26. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय गोद लेने वाली संस्था को बिना सूचना किए उनको दी गई संधारण अवधि मे उपलब्ध कराई गई सुविधा को तत्काल वापिस ले सकेगा एवं ऐसी स्थिति मे विकास कार्य या अन्य किये गये व्यय के प्रति कोई भुगतान देय नही होगा तथा संस्था द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

वरिष्ठ उद्यान विज्ञ
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर